

अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति देने से संबंधित मामले पर विचार करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों को समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है।

1. मूल मृत्यु प्रमाण-पत्र।
2. राशन कार्ड।
3. आवेदक की दो फोटो। (पासपोर्ट साईज़)
4. शैक्षिक योग्यता सम्बंधी प्रमाण-पत्र।
5. जन्म तिथि प्रमाण-पत्र/शपथ पत्र (अनपढ़ के मामले में)।
6. स्वयं घोषणा-पत्र (नमूना संलग्न)।
7. आवेदक के पक्ष में मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के सभी सदस्यों (शादी शुदा पुत्री से भी) द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Objection Certificate)।
8. वर्तमान बाजार कीमत के आधार पर चल/अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन एवं इसमें होने वाली आय, यदि कोई हो।
9. यदि कोई सम्पत्ति नहीं है, तो क्या आप किराये के मकान में रहते हैं? यदि हाँ, तो इस पक्ष में सबूत के लिए किराये की रसीद या राशन कार्ड प्रेषित करें।
10. परिवार के सभी सदस्यों का व्यवसाय/क्रियाकलाप (Occupation/activity) के बारे में सूचना एवं प्रतिमाह होने वाली आय का ब्यौरा दें।
11. यदि परिवार में कोई रोजगार है तो नियोक्ता (employer) द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र प्रेषित करें।
12. यदि मृतक सरकारी कर्मचारी का कोई पुत्र शादी शुदा या रोजगार में है और अलग रहता है तो उसका वर्तमान पता एवं राशन कार्ड।
13. सी0जी0एच0एस0 कार्ड की एक प्रतिलिपि (परिवार के सभी सदस्यों के)।
14. जाति प्रमाण-पत्र की एक प्रतिलिपि।
15. बिजली/पानी का बिल।
16. क्वार्टर अलॉटमेंट लेटर।
17. परिवार के सभी सदस्यों के पेन कार्ड, आधार कार्ड तथा बैंक खाता के पिछले एक साल के लेन-देन का विवरण।

नोट:- प्रार्थना-पत्र, दो प्रतियों में, उक्त सभी दस्तावेजों के साथ संबंधित प्रशासन अनुभाग में जमा करें। प्रार्थना-पत्र में सही एवं पूर्ण जानकारीयां अंकित करें। भरी गई जानकारीयां का सत्यापन करवाया जा सकता है। झूठी जानकारी देना या किसी तथ्य को छिपाना अनर्हता समझी जाएगी तथा इसके कारण आपके प्रार्थना-पत्र को बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा।